:- सरकार का गठन :-

जीन ब्लोन्डेल "कम्पेरेटिव लेजिस्लेचरस"

व्यवस्थापिका :-

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यो में सामान्यत: सरकार के तीन अंग होते हैं जिनमे से एक व्यवस्थापिका है। प्राचीन समय में संगठीत रूप में व्यवस्थापिका का अस्तित्व नही था सामान्यत: शासक वर्ग के आदेश ही कानून होते थे। व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के प्रतिनिधित्व हो तथा वे जनता के प्रति उत्तरदायी हो यह विचार लोकतन्त्र के विकास के साथ ही स्थापित हुआ।

अत: प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्थापिका आधुनिक राजनीतिक घटना है। जिसका प्रारम्भ ब्रिटेन से माना जाता है।

* अत: ब्रिटेन की व्यवस्थापिका (पार्लियामेन्ट) को "संसदो की जननी" कहा जाता है।

पार्लियामेन्ट फ्रांसीसी शब्द "पार्लिए" से बना है जिसका अर्थ है "बोलना" अथवा बातचीत करना" इस आधार पर सरकार के उस अंग को व्यवस्थापिका कहते हैं जहाँ विचार विमर्श होता हो, वाद-विवाद होता हो तथा कानूनो का निर्माण होता हो।

* व्यवस्थापिका के सदस्यो के प्रतिनिधित्व का आधार क्या होना चाहिए यह लम्बे समय तक विवादित रहा।

कॉल जैसे समष्टिवादीयो ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। जबकि अधिकाश विद्वान भौगोलिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने के समर्थक है। वर्तमान मे लगभग पूरे विश्व में भौगोलिक आधार पर प्रतिनिधियो का चुनाव होता है।

दूसरा विवाद यह था कि प्रतिनिधियों का चुनाव दलीय आधार पर हो अथवा निर्दलीय रूप मे हो।

इस समय इस बात पर भी सर्व सम्मती है कि प्रतिनिधियों का चुनाव दलीय आधार पर हो।

इस तरह वर्तमान में प्रादेशिक (भोगोलिक) निर्वाचन क्षेत्रो से दलीय आधार पर व्यस्क मताधिकार द्वारा व्यवस्थापिका का गठन होता है।

"व्यवस्थापिका का स्वरूप"

व्यवस्थापिका एक सदनीय हो अथवा उसके दो सदन हो इसे लेकर अत्यधिक मतभेद है।

* बेंजामीन फ्रेंकलिन ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की तुलना "दो सिरे पर जोते गए घोड़े वाली गाड़ी से की जिसे दोनो घोड़े विपरित दिशा में खिंच रहे हैं।

* गार्नर ने भी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका का समर्थन करते हुए कहा की "यदि दूसरा सदन पहले सदन से असहमत है तो यह उसकी उद्दण्डता है और यदि पहले सदन से सहमत है तो यह उसकी अनावश्यकता है"

* संक्षेप मे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं
1. यह जनमत की एकरूपता को अभिव्यक्त करती है
2. एक सदनात्मकता मे कानून निर्माण का कार्य शीघ्रता से होता है
3. एक सदनात्मक कम खर्चीली प्रणाली है।
4. छोटे और एकात्मक व्यवस्था वाले देशो के लिए अनुकूल है।

* लेकिन वर्तमान में सभी प्रमुख देशो मे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की रुझान है बडे देशो में चीन एक मात्र अपवाद है जहा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है।

* संक्षेप मे द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष मे निम्न तर्क दिये जाते है।
1. एक सदन की जल्दबाजी अथवा भावुकता पूर्ण कार्यवाही को रोकने मे सहायक
2. संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल
3. अल्पसंख्यक वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व
4. समाज के बुद्धिजीवियो और तकनीकी विशेषज्ञो की व्यवस्था मे भागीदारी
5. एक सदन की निरंकुशता पर रोक

ब्लंटशली "दो आंखो की अपेक्षा चार आंखे सदा अच्छा देखती है।"

लीयर, "द्वितीय सदन दूसरे मत की व्यवस्था करते है।"

: व्यवस्थापिका के कार्य :

1. कानून निर्माण का कार्य - प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य देश के लिए कानूनो का निर्माण करना है।
सामान्यत: प्रत्येक सदन में किसी कानून पर व्यापक चर्चा और बहस होकर राष्ट्रीय सहमती प्राप्त होने के बाद कानून का निर्माण होता है। अतः उन कानूनो की पालना नागरिको के लिए अनिवार्य होती है।

2. संविधान संशोधन का कार्य - संविधान देश की आवश्यकताओ को पूरा करने का एक साधन होता है देश की आवश्यकताओ में परिवर्तन के अनुरूप संविधान संशोधन अनिवार्य होता है अतः प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका संविधान संशोधन का कार्य करती है।

3. कार्यपालिका पर नियन्त्रण - व्यवस्थापिका का एक प्रमुख कार्य कार्यपालिका को नियन्त्रित करना है संसदात्मक व्यवस्था में प्रश्न काल, शुन्य काल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा अध्यक्षात्मक व्यवस्था में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियन्त्रित करती है

4. वितीय कार्य → लोकतान्त्रिक व्यवस्था का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि सरकार बीना जनता की सहमती के सार्वजनिक धन खर्च नही कर सकती चुंकि व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व होते है अतः व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना कार्यपालिका धन खर्च नही कर सकती।

5. निर्वाचन सम्बन्धी कार्य →

: व्यवस्थापिका का पतन या उसके कार्यो में कमी

1. कार्यपालिका का बढता प्रभाव 2. व्यवस्थापिका के कार्यो में कार्यपालिका का हस्तक्षेप
3. प्रदत व्यवस्थापन 4. दलीय अनुशासन 5. जन संचार के साधन 6. न्यायपालिका की भूमिका

* लार्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक Modern democracy में 'व्यवस्थापिका के पतन की बात की
* के.सी. व्हीयर - लेजिस्लेचर में व्यवस्थापिकाओ के पतन के बारे में बताया कि कार्यपालिका शक्ति के बढोतरी से व्यवस्थापिका की शक्ति के कमी। जीन ब्लांडेल ने "विधि निर्माण" के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का रूप होता रहेगा।